फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

लिछमणा पुत्र सरदारा जाति जाट बनाम (1) नथाराम पुत्र सरदारा वगैरा (5)

नि. जेबासर नोखड़ा

जाति जाट नि. जेबासर

(6) तहसीलदार नोखड़ा

किस्म मुकदमा शुद्धि आवेदन .... अधि. मुकदमा नम्बर 186/23

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/9/23	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री नियमसिंह ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू0–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 11/10/23 को पेश हो । (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी	
11/10/23	पत्रावली पेश हुई । आज हम दीगर आवश्यक कार्यों वि० स० कु० 2023 में व्यस्त है । अतः इन्तजा होकर पत्रावली आइन्दा 15/12/23 को पेश हो ।	लक्ष्मणाराम
15/12/23	पत्रावली आज पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित विप्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वर्तमान तरमीम खारिज कर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश किये जाने की सहमति दी वकील प्रार्थी की बहस सुनी आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	नथाराम पूनमाराम थुम्बाराम देदाराम लालाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 186 / 2023

प्रार्थीगण

1. लिछमणाराम पुत्र सरदाराराम
   जाति जाट निवासी जेठासर तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नथाराम पुत्र सरदाराराम
2. पूनमाराम पुत्र सरदाराराम
3. गणेशाराम पुत्र सरदाराराम
4. देदाराम पुत्र. सरदाराराम
5. लालाराम पुत्र सरदाराराम
   जाति जाट निवासी जेठासर
6. तहसीलदार नौखडा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्त करने बाबत्</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 15/12/23

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम दुरस्ती का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1042 / 663 रकबा 0.8903 हैक्टर, खसरा नम्बर 1045 / 439 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 865 / 439 रकबा 5.2366 हैक्टेयर कुल रकबा 6.7906 हैक्टेयर मौजा जेठासर पटवार क्षेत्र धोलानाडा तहसील नौखड़ा में आये हुए हैं। मूल रूप से प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 439 रकबा 280–05 बीघा, खसरा नम्बर 663 रकबा 8–00 बीघा, खसरा नम्बर 438 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 657 रकबा 0–06 बीघा मौजा आडेल में आये हुए थे, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के पूर्वज द्वारा उक्त खेतों का तत्समय बंटवाडा कर दिया था जिस बंटवाडे के अनुसार विप्रार्थीगण को कब्जा करवा दिया तथा प्रार्थी जो तत्समय अपने पिता सरदाराम के साथ रहता था इसलिये उसके हिस्से की भूमि सरदाराराम के साथ रखी गई। सदरदाराराम के स्वर्गवास होने पर विप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

नाम स्वीकृत करने की सहमति दी जिस पर प्रार्थी का नाम अंकित किया गया। वर्तमान में सेग्रीग्रेशन के समय बिना मौका कब्जा देखे प्रार्थी की खातेदारी के बेशकीमती भूमि की तरमीम कर अलग–अलग टुकडे कर दिये हैं, विप्रार्थीगण ने राजस्व कार्मिकों की मिलीभगत से कब्जे से हटकर तरमीम खोल दी जिससे प्रार्थी को भारी नुकशान हुआ है जिससे विवादित उक्त जमीन की गलत तरमीम निरस्त कर पक्षकारान के वर्तमान कब्जे एवं काश्त के अनुसार करने का आदेश प्रदान कराया जाना आवश्यक होने से तरमीम दुरूस्ती का उक्त आवेदन न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामील होने पर विप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गलत तरमीम निरस्त कर वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की सहमति दी गई। चूंकि विप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार पर विवादित आराजी की तरमीम गलत होने से निरस्त कर वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने की सहमति दी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर खेत खसरा नम्बर 1042/663 रकबा 0.8903 हैक्टर, खसरा नम्बर 1045/439 रकबा 0.6313 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 438 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 865/439 रकबा 5.2366 हैक्टेयर कुल रकबा 6.7906 हैक्टेयर मौजा जेठासर पटवार क्षेत्र धोलानाडा तहसील नौखड़ा की वर्तमान तरमीम निरस्त कर प्रार्थी व विप्रार्थीगण के कब्जा–काश्त अनुसार तरमीम जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नौखडा आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी